संख्या-3/2016/ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2016

विषय :- सरकारी विभागों/उपक्रमों एवं निगमों द्वारा धनराशियों को बैंकों में जमा करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012, शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29 मई, 2015 व शासनादेश संख्या-14/2015/ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-5 में यह व्यवस्था की गयी थी कि ऐसे निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय जो अपने स्वयं की धनराशि से व्यवसाय कर लाभ अर्जित करते हैं और अपने सरप्लस फण्ड का विनियोजन बैंक खातों के माध्यम से करना चाहते हैं, वे अपना बैंक खाता बिना वित्त विभाग की सहमति से खोल सकते हैं एवं इस हेतु अपना बैंक खाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिूचित किसी अनुसूचित (sheduled) बैंक, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक भी सम्मिलित है, में ही खोला जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त प्रस्तर अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरप्लस फण्ड के विनियोजन के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों द्वारा संस्था के नियमों/विनियमों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अपने निदेशक मण्डल/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्णय के अनुसार बैंक में खाता खोलने की कार्यवाही की जायेगी। सांविधिक संस्थाओं द्वारा अपने सरप्लस फण्ड का विनियोजन संस्था के अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार सम्बन्धित बैंक में रखी जाने वाली धनराशि की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संस्थायें स्वयं उत्तरदायी होंगी।

5- पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 21-03-2012, 29-5-2015 व 23-09-2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-3/2016/ए-1-170(1)/दस-2016-10(33)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-2.

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।